2024/78

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री दलपतसिंह पुत्र स्व. श्री नरसिंह निवासी राजमहल के पास सिरोही तहसील सिरोही जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 25 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
05.06.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को दिनांक 04.03.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि पी.पी.ओ. संख्या 54462 की प्रमाणित प्रति एवं टी.एस–रजिस्टर की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को दिनांक 04.03.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि पी.पी.ओ. संख्या 54462 की प्रमाणित प्रति एवं टी.एस–रजिस्टर की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/कोष/आरटीआई/2023–24/254 दिनांक 21.03.2024 द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से क्रम हो। (शुभम चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner